केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक
भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :46 अंक 257 बुधवार 16 अप्रैल 2025 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

यूपी के कई कलक्ट्रेट कार्यालयों को मिली बम से उड़ाने की धमकी

लखनऊ (आभा)। यूपी के कई कलक्ट्रेट और डीएम कार्यालय को आरडीएक्स लगाकर उड़ाने की धमकी मिली है। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मेल से आई धमकी के तत्काल बाद कलक्ट्रेट और डीएम कार्यालय को बम निरोधक दस्ते और अधिकारियों ने खंगाला। फिलहाल यूपी के चंदौली, बाराबंकी, फिरोजाबाद, अलीगढ़ कलक्ट्रेट को तमिलनाडु से गोपाल स्वामी के नाम से डीएम को मेल आया है। एक दिन पहले ही सोमवार को अयोध्या के राम मंदिर को उड़ाने की धमकी वाला मेल भी तमिलनाडु से ही आया था। उसे कृष्णा कोलाई के मेल से भेजा गया था।

फिरोजाबाद जिलाधिकारी को आए मेल में लिखा है कि जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में आरडीएक्स विस्फोटक लगाया गया है। बहुत जल्द डीएम कार्यालय को उड़ा दिया जाएगा। मेल देखते ही हड़कंप मच गया। तत्काल डीएम कार्यालय परिसर और उनके आसपास के कार्यालयों को खाली करा लिया गया। डॉग स्क्वायड के साथ बम निरोधक दस्ता पहुंच गया। मैटल डिटेक्टर और जांच टीमें शाम चार बजे तक परिसर में जांच करती रहीं। कहीं से भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर सभी ने राहत की सांस ली है।

डीएम कार्यालय में मेल आते ही तत्काल खुफिया विभाग और एसएसपी कार्यालय को जानकारी दी। सीओ सदर चंचल त्यागी अपनी टीम के साथ पहुंचीं। डॉग स्क्वायड, मैटल डिटेक्टर और जांच टीमें तत्काल मौके पर बुलाई गईं। सबसे पहले डीएम कार्यालय की जांच कराई गई। इसके बाद एडीएम कार्यालय और फिर डीएम कार्लालय से सटे अन्य अधिकारियों के कार्यालयों में जांच दल पहुंचा। भूतल पर स्थित अन्य कार्यालयों को खाली कराकर उनकी जांच हुई।

शिकायतों के निस्तारण को गंभीरता से लें अधिकारी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। , मंगलवार को जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आई.जी.आर.एस. की समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने आईजीआरएस सम्बन्धी मामलों के निस्तारण की अद्यतन स्थित की अधिकारियों से फीडबैक लिया। आईजीआरएस प्रकरणों की रैंकिंग में गिरावट पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए सम्बंधित अधिकारियों को रैंकिंग में सुधार के सख्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी अपने–अपने विभाग से सम्बंधित आईजीआरएस के प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारी शिकायतों को गंभीरता से ले और यथा संभव उनके निस्तारण का प्रयास करें। अधिकारी सभी शिकायतकर्ताओं से संपर्क स्थापित करते हुए उनसे फोन पर बातचीत करें। जहाँ पर मौके पर जाना जरूरी है वहाँ पर मौके पर जाकर शिकायत का समाधान कराए। जब अधिकारी स्थल पर जाए तो शिकायतकर्ता को अवश्य सूचित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि सभी जन–शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण व ससमय किया जाए।

जिलाधिकारी ने सम्बंधित अधिकारियों से रैंकिंग मॉड्यूल में हुए बदलाव को भलीभांति समझने और शिकायत निस्तारण की कार्यवाही को त्वरित गति से करने के निर्देश प्रदान किये। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी दशा में कोई प्रकरण डिफॉल्टर की श्रेणी में नहीं आना चाहिए अन्यथा सम्बंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति करना सुनिश्चित करें।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल, डीडीओ अजय कुमार सिंह, मुख्य कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति, उप जिलाधिकारी शाहिद अहमद, मनोज प्रकाश, शत्रुध्न पाठक, आशुतोश तिवारी, एआरटीओ पंकज कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक जगदीश शुक्ला, अधीक्षण अभियन्ता विद्युत मनोज कुमार, भूमि संरक्षण अधिकारी डा. राज मंगल चौधरी, डीसी मनरेगा संजय शर्मा, डीपीआरओ रतन कुमार, ई–डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सौरभ द्विवेदी तथा कार्यदायी संस्था के अधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बाबा साहब को किया नमन्, दिया संदेश

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बस्ती सदर विकास खण्ड के ग्राम पंचायत दुबखरा के संसारपुर गांव के अम्बेडकर पार्क में स्थित बाबा साहब और तथागत बुद्ध की प्रतिमा के निकट बाबा साहब की जयन्ती के उपलक्ष्य में डा. अम्बेडकर, भगवान बुद्ध सामाजिक विकास मिशन समिति द्वारा गोष्ठी का आयोजन किया गया।

जयंती अवसर पर बाबा साहब को नमन् करते हुये मुख्य अतिथि समाजसेवी बाबूराम गौतम ने कहा कि बाबा साहब समाज के दलित, वंचित, उपेक्षित वर्ग की मजबूत आवाज थे। शिक्षित बनो, संघर्ष करो का नारा देकर उन्होने वंचित समाज को उनका अधिकार दिलाया।

समिति के अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार ने कहा कि तथागत बुद्ध और बाबा साहब ने समाज निर्माण के लिये जो योगदान दिया उन्हें सदैव याद किया जायेगा। दलितों, वंचितों का उत्पीड़न रोकने, नयी पीढी को शिक्षित करने की दिशा में समिति निरन्तर प्रयत्नशील है।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामदीन, हितलाल, शान्ती देवी, सौरभ गौतम, अनुज, बुद्धिराम, शकुन्तला देवी, कृष्णावती देवी, पवन, किशन कुमार, अन्नूदेवी, राम कुमार, रितिक कुमार, दुर्गादास चंदन, अरूण, अजय, हृदयराम, लालमन, विनोद कुमार, रामचरित्र के साथ ही गांव के अनेक लोग शामिल रहे।

व्यापारी महाकुंभ में पारित किये गये 6 प्रस्तावः पदाधिकारियों को दिलाया शपथ

-केन्द्र, राज्य की सरकारें व्यापारिक हितों के लिये प्रतिबद्ध-सुनील सिंघी

-कठिन दौर से गुजर रहे हैं व्यापारी, उत्पीड़न पर चुप है सरकारें- महेन्द्र जैन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल द्वारा रेलवे स्टेशन मार्ग पर स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित व्यापारी महाकुंभ में व्यापारी हितों से सम्बंधित 6 प्रस्ताव पारित किये गये। मुख्य अतिथि व्यापारी कल्याण बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंघी ने कहा कि केन्द्र और राज्य की सरकारें व्यापार को सुगम बनाये, समस्याओं के समाधान की दिशा में निरन्तर कार्य कर रही है। इसके बावजूद देश के किसी भी हिस्से में व्यापारी उत्पीड़न, धन उगाही आदि के मामलों में त्वरित कार्यवाही करायी जाती है। कहा कि किसान और व्यापारी एक दूसरे के पूरक है।

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल के प्रदेश चेयरमैंन महेन्द्रजैन मयूर ने कहा कि देश और उत्तर प्रदेश का उद्यमी, व्यापारी कठिन दौर से गुजर रहा है। जीएसटी के नाम पर शोषण, विभागीय स्तर पर मनमानी, उत्पीड़न अपने चरम पर है। ऐसी स्थिति में केन्द्र और राज्य की सरकारें उद्यमियों, व्यापारियों, की सुने इसके लिये हम सबको अपने अधिकारों के लिये एकजुट होना होगा।

व्यापारी महाकुंभ को देवेश रस्तोगी, सुनील पाण्डेय, आनन्द राजपाल, ओम प्रकाश आर्य, सूर्य कुमार शुक्ल, प्रभात सोनी, धर्मेन्द्र चौरसिया, एस.एन. गुप्ता, आत्मा प्रसाद पाठक आदि ने सम्बोधित करते हुये विन्दुवार समस्याओं को रखा। पारित 6 प्रस्तावों में जांच के लिये आधुनिक खाद्य प्रयोगशालाओं की जनपद स्तर पर स्थापना, बस्ती जनपद में दो के स्थान पर एक टोला प्लाजा संचालित किये जाने, मद्धेशिया, कसौधन समाज का जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने, जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों का आयुष्मान कार्ड बनाये जाने, व्यापार संचालन के लिये एकल खिड़की लागू किये जाने, राज्यसभा और विधान परिषदों में व्यापारियों के प्रतिनिधित्व के लिये सीट निर्धारित किये जाने आदि की मांग शामिल है। व्यापारी महाकुंभ में आये अतिथियों, प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुये जिलाध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता ने जमीनी मुद्दे उठाये। संचालन करते हुये सूर्य कुमार शुक्ल ने राष्ट्रीय, प्रादेशिक और जनपद स्तरीय व्यापारियों की समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल के प्रदेश चेयरमैंन महेन्द्रजैन मयूर ने बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के पदाधिकारियों को शपथ दिलाया।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से अरूण सिंह, देवेन्द्र श्रीवास्तव, पद्युम्न शुक्ल, सत्यनरायन पटवा, प्रमोद गुप्ता, हरिराम निषाद, कुन्दन वर्मा, प्रेमचन्द्र गुप्ता, दिनेश जायसवाल, आशुतोष पाण्डेय, राजेश सोनी, विष्णु सोनी, राजेश सोनी, अजय अग्रहरि, अजय चौधरी, ओम प्रकाश चौधरी, चर्तुभुज तिवारी, सन्तोष चौधरी, शैलेन्द्र चौधरी, रवि भूषण त्रिपाठी, विनय मिश्र, संदीप जायसवाल, महेन्द्र चौरसिया, रविचन्द्र शुक्ल, हाजी मोहम्मद आलम, अनूप अरोरा, रंजीत श्रीवास्तव, अनिल, हरिमोहन वर्मा, सतीश सोनकर, कन्हैया अग्रहरि, शिवलाल जायसवाल, डब्बू श्रीवास्तव, प्रमोद गुप्ता, विवेक गिरोत्रा, मनोज सर्राफ, राजन गुप्ता, लालजी सिंह, मनोज, ऋषभ, अशोक कुमार निगम, विनोद सचदेवा, राजीव गभीर, हिमांशु, पवन कसौधन, रामकुमार, वृजमंगल बरनवाल, अमर सिंह यादव, आद्या प्रसाद, सुनील, विकास, दिव्यांशु, भोलानाथ, मोबीन अली, जावेद, बजरंग लाल, मनीष, कल्लू बाबा, मनमोहन, स्नेह पाण्डेय, शोभित, रवि पासवान, रमेश गुप्ता के साथ ही हजारों की संख्या में जनपद के व्यापारी शामिल रहे।

एक नजर

जमीन का बैनामा करने के नाम पर 4.60 लाख की धोखाधड़ी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। परसरामपुर पुलिस ने बैनामा करने के नाम पर धोखाधड़ी व पैसा हड़पने के आरोप में कोर्ट के आदेश पर पति–पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि 4.60 लाख रुपये देने के बाद गोलमाल सामने आया है। जब पैसा वापस मांगा तो देने से इंकार कर दिया गया। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। इसी थानाक्षेत्र के चिरई खंडवा निवासी मंगरु मौर्या ने तहरीर देकर बताया है कि उनके गांव के मुन्नाराम पुत्र बुद्धिराम जो गाटा संख्या 41 में एक तिहाई के मालिक थे। मुन्नाराम ने इस जमीन का बैनामा करने की बात उनसे की। मुन्नाराम से 4.60 लाख रुपये में जमीन का बैनामा करने की बात तय हुई थी। आरोप है कि इसके बाद 3.60 लाख रुपया एसबीआई परसरामपुर से मुन्नाराम को चेक के माध्यम से दिया गया था। एक लाख रुपये नकद दिया गया। इस गाटे संख्या की खतौनी में भी मुन्नाराम बतौर भूमिधर दर्ज था। बातचीत पक्की होने के बाद मुन्नाराम ने इस जमीन का हिब्बानामा चोरी से अपनी पत्नी के हक में कर दिया गया। साथ ही धोखा देकर पैसा वसूलने की नीयत से उसी जमीन का बैनामा भी कर दिया गया। इस बात की जानकारी होने पर मुन्नाराम व उसकी पत्नी से पूछा तो अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। एसएचओ दिनेश चौधरी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी मुन्नाराम व उसकी पत्नी किस्मता के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है।

रेलवे स्टेशन के पीछे पड़ा रहा युवक का शव

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। सीमा विवाद में दिन भर परदेसी युवक का शव रेलवे स्टेशन के पीछे पड़ा रहा। जिसे लेकर मृतक का साथी सहित आसपास के लोग तमाशबीन बने रहे। अंततः देर रात छपिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कीघ। बभनान रेलवे स्टेशन के पीछे एक युवक का शव पड़ा मिला। शव के पास एक युवक बदहवास बैठा था। युवक ने बताया कि वह बिहार के जिला पूर्णिया के थाना बराराकोठी निवासी सिरसिया का रहने वाला रंजीत ऋषि देव पुत्र नेती ऋषि देव है। मृतक उसका रिश्ते में भतीजा लगता है। जिसका नाम कापो ऋषि देव (22) पुत्र शंकर ऋषि देव है। दोनों सोनीपत गेहूं कटाई के सिलसिले में गए थे। सोमवार को वह दोनों आम्रपाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस डाउन से लौट रहे थे। ट्रेन में मृतक कापो ऋषि देव ने बताया कि उसे घबराहट हो रही है तो वे दोनों बभनान में ट्रेन खड़ी हुई तो उतर गए। उसे लेकर निजी चिकित्सक के पास ले गए, जहां दवा इलाज कराने के बाद वापस लेकर आए और दोपहर 2.30 से 3 के बीच में बभनान रेलवे स्टेशन के पास उसकी मृत्यु हो गई। दोपहर से रेलवे स्टेशन के पीछे शव पड़ा रहा और स्थानीय लोग तमाशबीन बने रहे। स्टेशन मास्टर बभनान ने छपिया व जीआरपी मनकापुर को मेमो भेज कर स्टेशन के पीछे शव पड़े होने की सूचना दी। घटनास्थल पहुंची जीआरपी ने घटनास्थल सिविल का बताया तो सिविल पुलिस घटनास्थल जीआरपी का बताती रही। यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा। अंततः छपिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। बभनान छपिया चौकी प्रभारी घनश्याम वर्मा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है।

नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल किया चार्जशीट

नई दिल्ली (आभा)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई अन्य नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम भी आरोपी के तौर पर दर्ज किया गया है। चार्जशीट 9 अप्रैल को विशेष अदालत में दाखिल की गई थी, जिसे विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने संज्ञान के बिंदु पर परखा। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है।

जज ने अपने आदेश में कहा, 'प्रस्तुत अभियोजन शिकायत को संज्ञान के पहलू पर विचार के लिए 25 अप्रैल 2025 को आगे लिया जाएगा। उस दिन ईडी के विशेष वकील और जांच अधिकारी को केस डायरी भी अदालत में प्रस्तुत करनी होगी, ताकि अदालत उसे देख सके।' इस केस में आरोप है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए गांधी परिवार ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की करोडों की संपत्ति पर धोखे से कब्जा कर लिया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, यंग इंडियन में 38–38 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं। एजेएल वही कंपनी है जो नेशनल हेराल्ड अखबार निकालती थी।

ईडी ने हाल ही में इस केस के तहत 661 करोड रुपये की संपत्तियां जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में स्थित इन प्रॉपर्टीज को कब्जे में लेने के लिए संबंधित रजिस्ट्रार्स को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। खासतौर पर दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस को लेकर कार्रवाई तेज हो गई है। मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में स्थित हेराल्ड हाउस की सातवीं से नौवीं मंजिल तक जिस दफ्तर को जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड किराए पर चला रही है, उसे भी नोटिस देकर कहा गया है कि अब वह किराया ईडी को दिया जाए।इस मामले की जड़ 2014 में उन निजी केस जुड़ीं हैं जिसे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि गांधी परिवार और उनके करीबी साथियों ने महज 50 लाख रुपये देकर 2000 करोड से ज्यादा की संपत्ति वाली कंपनी एजेएल को कब्जा कर लिया। ईडी ने नवंबर 2023 में 661 करोड रुपये की अचल संपत्ति और 90.2 करोड रुपये के शेयर अस्थायी रूप से अटैच किए थे, जिसे अप्रैल 2024 में एडजुडीकेटिंग अथॉरिटी ने भी मंजूरी दे दी थी।

ट्रांसजेंडर डे पर तृतीय लिंग पहचान प्रमाण पत्र का वितरण

–किन्नर समाज को मुख्य धारा में मिले सम्मान– अजय कुमार पाण्डेय

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। किन्नर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने, उनका विषय पाठ्यक्रम में इस तरह से जोड़ने की नयी पीढी उनके प्रति सम्मान का भाव रखे इस दिशा में इन्दिरा चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा निरन्तर कार्य किया जा रहा है। मंगलवार को कप्तानगंज स्थित संस्था के इन्दिरा भवन कार्यालय पर सीईओ अजय कुमार पाण्डेय ने सानिया और सीमा को तृतीय लिंग पहचान प्रमाण पत्र वितरण किया।

ट्रांसजेंडर डे पर तृतीय लिंग पहचान प्रमाण पत्र वितरण करते हुये इन्दिरा चैरिटेबल सोसाइटी के सीईओ अजय कुमार पाण्डेय ने कहा कि हाशिये पर पड़े और वंचित वर्गो को निष्पक्ष और सार्थक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक समावेशी कानून प्रणाली को बढ़ावा देते हुए संस्था कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दायर रिट याचिका का फैसला 11 वर्ष पहले ट्रांसजेंडरों के पक्ष में उन्हें "तीसरा लिंग"के रूप में मान्यता देते हुए दिया था। ट्रांसजेंडर कल्याण के लिए गरिमा गृह,आयुष्मान भारत टीजी प्लस,पेंशन, विश्वविद्यालय स्तर पर आरक्षण छात्रावास जैसी तमाम सुविधाएँ सरकार की तरफ से दिया जाता है। यहाँ तक कि जेलो में भी इनके लिए अलग से शौचालय, स्नानगृह, बैरक के निर्देश दिए गए हैं।

संस्था के सीईओ अजय पाण्डेय ने बताया कि " सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत में लैंगिक समानता की दिशा में एक प्रमुख कदम है। समाज को ट्रांसजेंडरों के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव रहित वातावरण तैयार करना चाहिए। ट्रांसफोबिया से बचने के लिए ट्रांसजेंडर विषय को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए जो कि सामाजिक न्याय और सुरक्षा की दिशा में भारतीय संविधान का सम्मान होगा" ।कार्यक्रम में सागर सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष,एडवोकेट शैलजा कुमार पाण्डेय, अभय पाण्डेय, एडवोकेट अशोक ओझा, कशिश, डॉक्टर दिनेश विश्वकर्मा आदि शामिल रहे।

शीलम निषाद हत्या मामले में निषाद पार्टी ने सौंपा ज्ञापन

–परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता, एक सरकारी नौकरी देने की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । मंगलवार को निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष संगठन संदीप कुमार निषाद ने शीलम निषाद के परिजनों के साथ डीम को सम्बोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। मांग किया कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के महादेवा ' पचौड़ा' निवासिनी शीलम निषाद की हत्या, शव को गैर जनपद फेंक देने के मामले मे दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई, आपराधिक धाराओं को बढाये जाने के साथ ही दुःखी परिवार को 50 लाख रूपये की आर्थिक सहायता और परिजनों को एक सरकारी नौकरी दिये जाने की मांग किया।

ज्ञापन देने के बाद निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष संगठन संदीप कुमार निषाद ने बताया कि शीलम निषाद घर की कमाऊ बेटी थी और बस्ती के मड़वानगर में किराये का मकान लेकर परिवार के भरण पोषण के लिये कार्य करती थी। उसके माता–पिता काफी गरीब और वृद्ध है। उसकी 5 बहनें हैं जिसमें से 3 की शादी नहीं हुई है, एक छोटा भाई है। कहा कि परिवार को आर्थिक सहायता दिया जाना आवश्यक है। शीलम निषाद की माता इन्द्रावती देवी, पिता राजकरन, विनय, सुधा देवी, बहन रूचि निषाद आदि ने न्याय की मांग करते हुये कहा कि शीलम निषाद की तीन लोगों ने मिलकर गत 26 फरवरी को क्रूर हत्या कर दिया, उसका शव बलरामपुर जनपद के गौरा चौराहा थाना क्षेत्र के जैतापुर गांव में फेंक दिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों बस्ती जनपद के सोनहा थाना क्षेत्र के लिदबा चक्का चौराहा निवासी सुनील ठाकरे, गौर थाना क्षेत्र के रानीपुर बाबू निवासी रामगोपाल और बलुआ चौबे निवासी जवाहरलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनका परिवार घोर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है।

शीलम निषाद हत्या काण्ड मामले में ज्ञापन देने वालों में निषाद पार्टी के अशोक निषाद, बब्लू राना, अली हसन, अनिल निषाद, विनय निषाद, आर्यन कश्यप, सुजीत गौतम, सुरजीत निषाद, नेहाराज 'सुमन' लुद्दी निषाद, जगराम निषाद, सन्तोष आदि शामिल रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेडेल फिलिप्स

दैनिक भारतीय बस्ती
बस्ती 16 अप्रैल 2025 बुधवार

सम्पादकीय

वोट बैंक की राजनीति और मुसलमान

वोट बैंक के फिसलने के इस डर से मुसलमानों को डराए रखा गया। भले ही ऐसे बदलावों का फायदा मुस्लिम समुदाय को ही क्यों न हो, इसके बावजूद विपक्षी दल किसी भी तरह के संशोधन के खिलाफ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि मुसलमानों के खैरख्वाह बनने वाले राजनीतिक दलों ने सत्ता में रहने के दौरान मुसलमानों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हों। विपक्षी दलों को मुस्लिम वोटों के डर का सबसे बड़ा उदाहरण शाहबानो का प्रकरण है। सुप्रीम कोर्ट के तीन तलाक के एवज में मुआवजा देने के निर्णय के बावजूद केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संसद में इस कानून को ही पलट दिया। इससे तभी साफ हो गया था कि बेशक देश की मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक का दंश झेलने के बाद अपने गुजारे–भत्ते के लिए धक्के खाएं किन्तु उन्हें कानून के तहत न्याय नहीं मिल सकता। कारण स्पष्ट है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि पर्सनल लॉ में किसी तरह का संशोधन करके मुसलमानों को नाराज किया जाए, भले ही मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय होता रहे। कांग्रेस और विपक्षी दलों की मुसलमानों के प्रति बनी पूर्वाग्रह की इस धारणा को तोड़ा है केंद्र की भाजपा सरकार ने।

केंद्र में सत्ता में आते ही भाजपा गठबंधन सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई भी जाति, धर्म या समुदाय हो, सभी कानून के दायरे में आते हैं और इनकी भलाई के लिए कानून में संशोधन किए जा सकते हैं। इसमें यदि किसी का धर्म और रीति–रिवाज भी बीच में आते हैं, तब भी आधुनिक सोच और मानवाधिकारों के दायरे में कानून में परिवर्तन किए जाएंगे। नया प्रमाण वक्फ बोर्ड को लेकर बने नए कानून का है। केंद्र की मोदी सरकार ने इसमें संशोधन करके न सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर दी बल्कि इसे व्यावहारिक रूप दे दिया। यह बिल वक्फ बोर्ड के प्रबंधन और सम्पत्तियों में सुधार के लिए है, इसमें गैर–मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने, सम्पत्ति सर्वेक्षण और पारदर्शिता जैसे प्रावधान हैं।

केंद्र सरकार का तर्क है कि इस कानून का उद्देश्य वक्फ सम्पत्तियों में भ्रष्टाचार और दुरुपयोग को रोकना, साथ ही महिलाओं और पिछड़े मुस्लिमों को लाभ पहुंचाना है। समय की मांग के अनुसार वक्फ बोर्ड में परिवर्तन करने से विपक्षी दल डरते रहे हैं। इसी तरह केंद्र की मोदी सरकार ने बिना किसी हिचक के तीन तलाक को बंद करके मुस्लिम महिलाओं को देश की अन्य महिलाओं के समान अधिकार दिलाने का कानून बनाया। विधेयक में 3 तलाक देने वाले शौहर के लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान था।

गौरतलब है कि सुप्रीमकोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को तीन तलाक को असंवैधानिक ठहराया था, जिसके बाद सरकार ने इसे आपराधिक बनाने के लिए कानून बनाया। यह बिल जुलाई, 2019 में कानून बना। तीन तलाक उन्मूलन के बाद नागरिकता संशोधन कानून लाना नरेंद्र मोदी सरकार का बड़ा कदम था। इससे भारत के मुसलमान सीधे तौर पर प्रभावित नहीं होते थे। फिर भी विपक्ष ने इसे देश के मुसलमानों का मुद्दा बनाने में कसर बाकी नहीं रखी। दिसम्बर, 2019 में पारित नागरिकता संशोधन कानून (सी.ए.ए.) 2019 का उद्देश्य पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणाध्थयों को नागरिकता देना था। इस कानून के दायरे से भारत के मुस्लिमों को बाहर रखा गया। इसी तरह जम्मू–कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने पर विपक्ष ने खूब शोर मचाया। आश्चर्य की बात यह है कि इसे भी मुसलमानों का मुद्दा बताया गया, जबकि शेष भारत के मुसलमानों से इसका कोई संबंध ही नहीं था। विपक्ष के विरोध का फायदा पाकिस्तान ने उठाया। पाकिस्तान ने भारत पर जम्मू–कश्मीर के मुसलमानों पर उत्पीडन का आरोप फिर जड़ दिया। यह बात दीगर है कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की बात पर कभी ध्यान नहीं दिया पर विपक्ष ने उसे मौका मुहैया करा दिया। यह सर्वविदित है कि इस अनुच्छेद के खत्म होने के बाद से जम्मू–कश्मीर में आंतरिक शांति बनी हुई है। पत्थरबाजी की घटनाएं थम गई हैं। यह सीमावर्ती पहाड़ी प्रदेश भी देश के विकास की मुख्य धारा में तेजी से शामिल हो रहा है। बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश होने के साथ ही परिवहन सहित अन्य आधारभूत ढांचे के विकास ने गति पकड़ी है। जम्मू–कश्मीर की मौजूदा नैशनल कांफ्रैंस की सरकार ने भी अनुच्छेद 370 के खत्म होने के मुद्दे को पीछे धकेल दिया है। मुसलमानों से जुड़े इन मुद्दों के बाद भी सुधार की प्रक्रिया जारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड (यू.सी.सी.) केंद्र सरकार का अहम एजेंडा है। मुसलमानों से जुड़े इन मुद्दों को कानून की छतरी के नीचे लाकर किए संशोधनों को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाडने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इसी उकसावे के कारण सी.ए.ए. के मुद्दे पर हिसा हुई। यही वजह रही कि 3 महत्वपूर्ण मामलों में कानून बनाने के बावजूद देश के मुसलमान इनके वरगलावे में नहीं आए। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि देश में जाति, धर्म की राजनीति किस डगर पर लेकर जायेगी।

वक्फ संशोधन कानून और हिंसक आन्दोलन

– कमलेश पाण्डेय–

वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में भड़काई गई सुनियोजित हिंसा से यदि हमारा प्रशासन समय रहते ही नहीं चेता तो आने वाले दिनों में अंजाम और भी बुरे होंगे, इतिहास इसी बात की चुगली कर रहा है! यह नसीहत क्रूर वक्त हमें बार–बार दे रहा है, लेकिन हमलोग ऐसे घिसे पिटे आदर्शवादी हैं कि उसे समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। इसलिए आज मैं इतिहास की अंगड़ाई में सुलगते हुए वर्तमान के कुछ कटु सत्य को उद्घाटित कर रहा हूँ ताकि हमारे राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की कुम्भकर्णी निंद्रा टूटे और वो विधि–व्यवस्था के लिहाज से अपने मौलिक कर्तव्य न भूलें।

इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत एक शांतिप्रिय देश रहा है, लेकिन पहले मुस्लिम आक्रान्ताओं ने और फिर ब्रिटिश नौकरशाहों ने अपने–अपने प्रशासनिक स्वार्थ की प्रतिपूर्ति के लिए ऐसी–ऐसी अव्यवहारिक नीतियों को कानूनी अमली जामा पहनाया, जिससे हिन्दू समाज जाति और क्षेत्र के नाम पर बिखर गया और कभी मुस्लिम अधिकारी तो कभी ईसाई अधिकारी और उनके पिट्ठू लोग हिन्दुओं पर हावी होते चले गए। इसी कड़ी में सांप्रदायिक, जातीय और क्षेत्रीय हिंसा को अघोषित प्रशासनिक एजेंडे के तौर पर बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा, कभी प्रशासनिक उदासीनता तो कभी पक्षपाती दृष्टिकोण अपनाते हुए संगठित अपराध को बढ़ावा दिया गया, जिससे विधि व्यवस्था की स्थिति दिन–प्रतिदिन बिगड़ती चली गई।

इसी स्थिति से निजात पाने के लिए देश में आजादी की लड़ाई तेज हुई और साम्पदायिक विभाजन तक की नौबत आई, इस दौरान हिन्दू–मुस्लिम दंगे भी खूब हुए। लेकिन भारत के गाँधी–नेहरु जैसे अव्यवहारिक आदर्शवादी राजनेताओं ने आजाद भारत में हालत बदलने के उलट उन्हीं घिसे–पिटे कानूनों को भारतीयों पर थोप दिया, जो आज तक अशांति का सबब बन चुकी हैं। पहले कांग्रेसियों, फिर समाजवादियों और अब राष्ट्रवादियों ने ढोंगी धर्मनिरपेक्षता की तो खूब बातें कीं, लेकिन अपने कुत्सित जातीय, क्षेत्रीय और सांप्रदायिक एजेंडे से आगे की कभी नहीं सोच पाए।

मसलन, बहुमत की आड़ में शांतिप्रिय सत्ता परिवर्तन भी सुनिश्चित हुआ, लेकिन विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबरपालिका और समाजपालिका से जुड़े लोग मुगलिया और ब्रितानी प्रशासनिक लापरवाहियों से कोई सबक नहीं सीख पाए। सबों ने उस 'निर्जीव भारतीय संविधान' का महिमा मंडन किया और कर रहे हैं जिसने पदासीन लोगों को वेतन–भत्ते–पेंशन और देशवासियों से लूट–खसोट की तो गारंटी दी, लेकिन आमलोगों के सुख–शांति में खलल डालने वालों के खिलाफ कभी सख्ती नहीं दिखाई। इस नजरिए से संसद और विधान मंडलों ने प्रभावकारी कानून नहीं बनाए और न ही न्यायपालिका ने इस प्रशासनिक प्रवृति पर कभी सवाल उठाए।

हद तो यह कि न्याय के नाम पर मामलों को वर्षों तक लटकाने वाली न्यायपालिका, नेताओं के इशारों पर उलटे–सीधे कार्य करने की अभ्यस्त हो चली कार्यपालिका और नेताओं–कारोबारियों की अघोषित सांठगांठ से जहाँ सत्ताधारी जमात मौज में रहता आया है, वहीं आम आदमी सुपोषण योग्य भोजन, अच्छी शिक्षा और चिकित्सा सुविधा, जन–सुरक्षा के लिए मोहताज है। एक ओर देश के अमनपसंद आमलोग जहाँ रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सम्मान की प्राप्ति के लिए आरक्षण को अचूक हथियार समझ बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर 1947 में पाकिस्तान और 1972 में बंगलादेश लेने वालों के वंशज ब्रेक के बाद भारतीय भूभाग पर सांप्रदायिक तांडव मचा रहे हैं और नेताओं की नीतिगत लापरवाहियों से हमारा सिविल और पुलिस प्रशासन असहाय बना रहता है।

हैरत की बात है कि कभी ये लोग दलित–मुस्लिम समीकरण तैयार करवाते हैं तो कभी मुस्लिम–ओबीसी समीकरण को फंडिंग करवाते हैं। वहीं इसी की आड़ में अभिजात्य मुसलमान विदेशों से हवाला के जरिए फंडिंग लेकर देश में पाकिस्तान–बांग्लादेश के ही नहीं बल्कि अरब देशों के हमदर्द पैदा करते हैं। इनकी नापाक मंशा जम्मू–कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे हालत पूरे देश में पैदा करने की है, जिसकी झलक गाहे–बगाहे दिखाते रहते हैं। यदि गुलाम भारत से लेकर आजाद भारत तक के ब्रेक के बाद होने वाले सांप्रदायिक दंगों की बात छोड़ भी दी जाए तो अयोध्या रामजन्म भूमि आंदोलन, फिर सीएए और अब वक्फ कानून की आड़ में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर या फिर चीन–अमेरिका–इंग्लैंड से शह प्राप्त अन्य मुस्लिम देशों के इशारे पर भारत में जो अशांति फैलाते हैं, इसका ताजातरीन उदाहरण पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद इलाका है, जो इन दिनों इस्लामिक उत्पात से जल रहा है।

दरअसल वक्फ कानून में संशोधन के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा भड़क उठी है, उससे केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों में भी ऐसी घटनाओं की आशंका जताई है। इसके दृष्टिगत वह लगातार सतर्कता बरत रही है। यह बात दीगर है कि अभी तक अन्य राज्यों से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। केंद्र सरकार के मुताबिक, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की अधिसूचना के मद्देनजर अभी तक अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से किसी भी सांप्रदायिक स्थिति की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्रालय कोई जोखिम नहीं उठा रहा है। केंद्र बंगाल के साथ–साथ अन्य राज्योंध्केंद्र शासित प्रदेशों में स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है, जहां वक्फ कानून विरोधी प्रदर्शनों की खबरें आई हैं। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने वाले किसी भी कारक की पहचान करना और संबंधित राज्य सरकारों से संपर्क करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें शुरू में ही समाप्त कर दिया जाए।

बताया जाता है कि यदि राज्यों से मांग की जाती है, तो उन्हें बिना किसी देरी के केंद्रीय बल मुहैया कराए जाएंगे, ताकि ऐसी सांप्रदायिक हिंसा को रोका जा सके। इसी उद्देश्य से मुर्शिदाबाद में भी, पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और अदालत के निर्देश पर पर्याप्त केंद्रीय बलों की तैनाती की गई, जिससे सांप्रदायिक झड़पों पर लगाम लगी। अधिकारी ने कहा कि वहां अब कोई नई हिंसा नहीं हुई है। गत शनिवार को मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक झड़पों के मद्देनजर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर स्थिति का आकलन किया। इसके साथ ही स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा तैयार की।

दरअसल डीजीपी ने केन्द्रीय गृह सचिव को जानकारी देते हुए कहा कि स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है और स्थानीय स्तर पर तैनात बीएसएफ कर्मियों की मदद ली जा रही है। वहीं सांप्रदायिक हिंसा में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में शनिवार को 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुर्शिदाबाद में स्थानीय स्तर पर मौजूद करीब 300 बीएसएफ कर्मियों के अलावा राज्य सरकार के अनुरोध पर पांच अतिरिक्त कंपनियां वहां भेजी गईं हैं। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा में तीन लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हुए।

जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस हिंसा की साजिश तीन महीने पहले रची गई थी और पाकिस्तान के दोस्त तुर्कीए से फंडिंग की गई थीद्य हमलावरों को लूटपाट के लिए 500 रुपये दिए गए थे और साजिशकर्ताओं ने लक्ष्य दिया था कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश जैसा बनाना थाद्य यही वजह है कि वक्फ कानून के विरोध पश्चिम बंगाल में भारी हिंसा देखने को मिलीद्य जहाँ मुर्शिदाबाद में हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई, वहीं सैकड़ों लोग घायल हुए। आलम यह है कि कई लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह ठिकाना लेना पड़ा है। यहाँ हिंसा को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात करना पड़ाद्य इसके साथ ही हिंसा वाले इलाके में कड़ा पहरा है।

इस बीच मुर्शिदाबाद दंगा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। भारतीय जांच एजेंसियों के सूत्रों की मानें तो इस हिंसा की प्लानिंग लंबे समय से की जा रही थीद्य लगभग पिछले 3 महीनों से इलाके के लोग इस घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, क्योंकि इसके लिए विदेशों से फंडिंग की गई थी। पूरे मामले की जांच के दौरान पाया गया है कि यह आतंकवाद फैलाने का नया तरीका है। दरअसल दो महीने पहले एटीबी के दो जाने–माने सदस्य मुर्शिदाबाद आए और कहा कि एक बड़ी दावत होगी। वे ट्रिगर पॉइंट का इंतजार कर रहे थे। प्रारंभ में रामनवमी की तारीख तय थी, लेकिन उस दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण चीजें बदल गईं। लेकिन वक्फ बिल ने ट्रिगर पॉइंट दे दिया। इन्हें ट्रेनों को बाधित करना, सरकारी संपत्ति को खत्म करना, हिंदुओं की हत्या करना, घरों को लूटना आदि पहला टारगेट दिया गया था। तब हमलावरों से कहा गया था कि जितनी ज्यादा चीजों को खराब करेंगे, उन्हें उतना ही ज्यादा पैसा दिया जाएगा। शुरू में एक सूची बनाई गई थी कि यदि वे अपने किए का ब्यौरा देंगे तो उन्हें कितना धन दिया जाएगाद्य यही वजह है कि भूखे नगे लोगों ने दिनदहाड़े उपद्रव मचा दिया।बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में 10 अप्रैल से हिंसा जारी है जो अब थम चुकी है। बता दें कि केंद्र सरकार के वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर भड़की हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों को आग लगा दी, सड़कें जाम कर दीं और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। चूँकि बंगाल में चुनावों के लिए अभी 1 साल से ज्यादा का समय बाकी है, ऐसे में ये दंगों की खबरों से सियासी लोग भी खासे परेशान हैं।

डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा की यारी

–वप्पला बालचंद्रन–

अमेरिकी अदालती कार्यवाही में तहव्वुर व हेडली के बीच घनिष्ठता के सबूत मिले। राणा की ट्रैवल एजेंसी द्वारा मुहैया 'कवर' ने हेडली को वीजा देकर भारत की लगातार यात्राएं करवायीं। राणा ने हेडली को अपनी आव्रजन परामर्श फर्म का विदेशी प्रतिनिधि दिखाकर व मुंबई में कार्यालय खोलकर अंडरकवर आतंकवादी टोही अभियान चलाने में मदद की। डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा की यारी तब से है, जब वे दोनों पाकिस्तान में कुलीन सैन्य शिक्षा संस्थान हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज में साथ पढ़ते थे। आगे चलकर, तहव्वुर राणा ने हेडली की गुप्त आतंकवादी टोही गतिविधियों को 'कवर' मुहैया करवाया।

हेडली, जिसका जन्म वाशिंगटन डीसी में दाऊद गिलानी के रूप में हुआ था, वह रेडियो प्रसारक पाकिस्तानी पिता सैयद सलीम गिलानी और अमेरिकी मां सेरिल हेडली का बेटा है। डेविड बचपन में परिजनों के साथ पाकिस्तान आ बसा। उसकी मां का तलाक हो गया और सेरिल वापस अमेरिका लौट गई। वर्ष 2013 में शिकागो में उनके खिलाफ अदालती कार्यवाही से पता चलता है कि दाऊद उर्फ डेविड 'पाकिस्तानी राष्ट्रवाद और इस्लामी रूढ़िवाद के माहौल' में पला–बढ़ा। हेडली के अनुसार, भारत के प्रति उसकी नफरत 1971 में शुरू हुई, जब भारत–पाक युद्ध के दौरान कराची पर हमले के दौरान एक भारतीय बम भटककर उसके प्राथमिक स्कूल पर जा गिरा और दो लोग मारे गए।

17 साल की उम्र में, हेडली अपनी पाकिस्तानी सौतेली मां से झगड़ा होने के बाद फिलाडेल्फिया में अपनी असली मां के पास लौट गया। अमेरिका, पाकिस्तान और जर्मनी में नशीली दवाओं की लत के कारण 1988 में उसका पाला कानून से पड़ा, जब उसे गिरफ्तार किया गया था। आगे चलकर, अमेरिकी ड्रग प्रवर्तन एजेंसी (डीईए) ने उसे बतौर एक मुखबिर भर्ती कर लिया। 1998 में डीईए ने उसे अंडरकवर एजेंट के रूप में पाकिस्तान भेजा।

उस अवधि के दौरान, उसके संबंध लश्कर–ए–तैयबा के साथ बन गए। वह बताता है कि उसने अमेरिकी अधिकारियों की अनुमति लिए बिना पाकिस्तान की यात्राएं कीं। वर्ष 2000 में उसकी मुलाकात लश्कर के आध्यात्मिक गुरु हाफिज सईद से हुई। वर्ष 2001 में उसने फिर से एक और साल के लिए डीईए के साथ 'अनुबंधा साइन अप' किया। इसने उसे भारतीय उपमहाद्वीप की लगातार यात्राएं करने के मौके प्रदान किए।

'प्रो–पब्लिका' के सेबेस्टियन रोटेला और अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीफन टैंकेल ने दुनिया के सामने 26ध11 कांड के आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली, उसके दोस्त तहव्वुर हुसैन राणा और आईएसआई के बीच गुप्त संबंधों को उजागर करने में मुख्य भूमिका निभाई। जिसकी हवा अमेरिकी स्रोतों ने आधिकारिक तौर इससे पहले नहीं लगने दी।

2012 में नेशनल जियोग्राफिक चौनल द्वारा 26ध11 हमले पर बनाई डॉक्यूमेंट्री 'सेकंड्स टू डिजास्टर रूद मुंबई मैसेकर' में स्टीफन टैंकेल और मेरे विचार शामिल किए गए थे। उस साल वे लश्कर–ए–तैयबा पर अपनी पुस्तक 'स्टॉर्मिंग द वर्ल्ड स्टेज' का विमोचन करने मुंबई आए थे, जिसमें लश्कर–ए–तैयबा और पाकिस्तान की आईएसआई के बीच घनिष्ठ संबंधों का खुलासा था, जिसके वास्ते तथ्य उन्होंने 2009 में पाकिस्तान एवं भारत में वास्तविक धरातल पर किए खोज–कार्य से जुटाए थे। वर्ष 2017 में उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब, वाशिंगटन डीसी में मेरी किताब 'कीपिंग इंडिया सेफ' पर चर्चा सत्र की अध्यक्षता की थी।

सेबेस्टियन रोटेला को व्यक्तिगत रूप से मैं जून, 2013 में ही जान पाया था, जब वे पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेस के वास्ते 2011 में बनाई अपनी डॉक्यूमेंट्री 'ए परफेक्ट टैरेरिस्ट' के द्वितीय अंक के लिए मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड करने मुंबई आए थे। पहले अंक में हेडली का मुंबई और डेनमार्क से राब्ता कैसे बना, यह बताया गया था। वह यह जांच भी कर रहे थे कि अमेरिकी एजेंसियों ने हेडली की संलिप्तता और भारत की लगातार यात्राओं के बारे में भारतीय अधिकारियों को सतर्क क्यों नहीं किया, जबकि एक अमेरिकी राजनयिक अधिकारी ने इस्लामाबाद में उसकी पत्नी से पूछताछ करने के बाद एफबीआई, डीईए और सीआईए को इसकी सूचना दी थी।

जनवरी, 2013 में अमेरिकी शिकागो जिला न्यायालय के न्यायाधीश हैरी लीनेनवेबर ने डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई नरसंहार की साजिश के हिस्से के तौर पर पूर्व–टोही अभियान में उसकी गहरी संलिप्तता के कारण 35 साल की जेल की सजा सुनाई। शिकागो में गवाहों में अमेरिकी लेखिका लिंडा रैग्सडेल भी शामिल थीं, जो 26ध11 के हमले के दौरान घायल हुई थीं, जबकि उनके साथ खाने की मेज पर बैठे दो अन्य लोग मारे गए थे। अदालती कार्रवाई से पता चलता है कि पहले ही 'प्ली बार्गेन एग्रीमेंट' के तहत कबूलनामा कर चुके हेडली ने पाकिस्तान में अपने घर में टीवी पर लाइव कवरेज में मुंबई हमले का नजारा लिया था।

हेडली ने अदालत को बताया कि उसने 2002 से 2005 के बीच पांच बार पाकिस्तान में लश्कर के प्रशिक्षण शिविरों में भाग लिया था। 2005 के अंत में, उसे टोही अभियान चलाने के लिए भारत की यात्रा करने के निर्देश मिले, जो उसने पांच बार की। अदालती कार्यवाही से यह भी संकेत मिलता है कि लीनेनवेबर ने अभियोजन पक्ष के उस अनुरोध के प्रति अरुचि दिखाई, जिसमें 'मुंबई में तीन दिन चले नरसंहार की भयावह प्रकृति' में हेडली की संलिप्तता के बावजूद उसे कानून के तहत अधिकतम सजा न देने की मांग की गई थी।

आवारा कुत्तों के खतरे

–दीपक कुमार शर्मा–

अब तक भारत में कोई समग्र राष्ट्रीय नीति नहीं है जो इस समस्या का समाधान कर सके। वहीं स्थानीय निकायों के पास भी इस मुद्दे से निपटने की कोई ठोस रणनीति नहीं है। इसी कारण सांसद कार्ति चिदंबरम ने प्रधानमंत्री से नेशनल टास्क फोर्स बनाने की अपील की है। टास्क फोर्स में केंद्र, राज्य सरकारें, नगर निकाय, पशु चिकित्सा विशेषज्ञ और एनजीओ को शामिल करने की मांग की गई है।

भारत में गली–कूचों में घूमने वाले आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या एक गंभीर जन–सुरक्षा संकट बन चुकी है। हाल ही में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठाया। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स गठित करने की मांग की। बताया जाता है कि भारत में करोड़ों आवारा कुत्ते गंभीर चुनौती का सबब बने हुए हैं। कई शहरों में यह समस्या विकराल रूप ले चुकी है, लेकिन प्रशासन के पास इस संकट के समाधान के लिये कोई प्रभावी नीति नहीं है। वर्ष 2012 की लाइवस्टॉक सेंसस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में करीब 1.7 करोड़ आवारा कुत्ते थे, लेकिन 2019 तक यह संख्या बढ़कर 6.2 करोड़ हो गई। कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए सरकार की एबीसी (एनीमल बर्थ कंट्रोल) योजना है, लेकिन इसे प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा रहा। देश में हर साल 1.75 करोड़ से अधिक लोग कुत्तों के हमलों का शिकार होते हैं। भारत में विश्व की 36 प्रतिशत रैबीज मौतें होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हर साल देश में 20,000 से अधिक लोग रैबीज से मरते हैं। दरअसल, रैबीज से होने वाली मौतों में 99 प्रतिशत मामले कुत्ते काटने के होते हैं।

रैबीज एक जानलेवा बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है। रैबीज का एकमात्र समाधान टीकाकरण और जानवर आबादी नियंत्रण है। लेकिन भारत में 80 प्रतिशत से अधिक आवारा कुत्तों का कोई टीकाकरण नहीं होता। इसके कारण संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गली के कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। छोटे बच्चे और बुजुर्ग इस संकट से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। कुत्तों के हमले की कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें कई लोगों की जान तक चली गई। आवारा कुत्ते कचरे के ढेर में खाना खोजते हैं, जिससे गंदगी फैलती हैं। साथ ही अन्य बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ता है। खुले में भोजन की तलाश करने वाले ये कुत्ते अन्य जीव–जंतुओं पर भी हमला करते हैं, जिससे उनमें भी रैबीज फैलने का खतरा बढ़ जाता है।

अब तक भारत में कोई समग्र राष्ट्रीय नीति नहीं है जो इस समस्या का समाधान कर सके। वहीं स्थानीय निकायों के पास भी इस मुद्दे से निपटने की कोई ठोस रणनीति नहीं है। इसी कारण सांसद कार्ति चिदंबरम ने प्रधानमंत्री से नेशनल टास्क फोर्स बनाने की अपील की है। टास्क फोर्स में केंद्र, राज्य सरकारें, नगर निकाय, पशु चिकित्सा विशेषज्ञ और एनजीओ को शामिल करने की मांग की गई है।

आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने के अलावा टीकाकरण कार्यक्रम को तेज करने के साथध्ही आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने की जरूरत है। सरकार को राज्य और जिला स्तर पर नसबंदी केंद्र बनाने चाहिए। डब्ल्यूएचओ के 2030 तक रैबीज मुक्त भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक टीकाकरण अभियान चलाना चाहिए। अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। साथध्ही स्ट्रे डॉग शेल्टर बनाने के लिए अनुदान दिया जाए। एनिमल हेल्थ सेंटर बनें, जहां घायल–बीमार आवारा कुत्तों का इलाज हो सके।

जरूरी है कि जनता को रैबीज और कुत्तों से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक किया जाए। कुत्तों के प्रति हिंसा को रोकने के लिए उनके पुनर्वास कार्यक्रम चलाए जाएं। एनजीओ और पशु कल्याण संगठनों को इस अभियान में शामिल किया जाए।

हरियाणा में भी आवारा कुत्तों बढ़ती संख्या और उनके हमलों की कई चिंताजनक घटनाएं सामने आई हैं। फतेहाबाद के बड़ोपल क्षेत्र और हिसार जिले के मंगली–रावतखेड़ा क्षेत्र में आवारा कुत्तों के हमलों से स्थानीय नीलगाय और काले हिरण की आबादी खतरे में है। जनवरी, 2016 से मई, 2020 तक, हिसार संभाग में कुत्तों द्वारा 361 काले हिरण, 1,641 नीलगाय, 25 मोर, 29 चिंकारा और 35 बंदरों की मौत दर्ज की गई है। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, हरियाणा–पंजाब ने आवारा कुत्तों से निपटने को जिला–स्तरीय समितियों का गठन किया है।

निस्संदेह, नेशनल टास्क फोर्स के गठन से इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। इससे लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। यदि हम समय पर उचित कदम नहीं उठाते, तो यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है। सरकार, प्रशासन और समाज मिलकर इस संकट से निपटने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाएं।

बस ने ऑटो में मारी टक्कर, एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत, 14 गंभीर रूप से घायल

संवाददाता—बहराइच। मंगलवार की दोपहर बड़ा हादसा हो गया। बहराइच—गोंडा मार्ग पर डबल डेकर बस ने सवारियों से भरी टेंपो को टक्कर मार दी। इससे टेंपो सवार एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई। सात लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी को मेडिकल कॉलेज लाया गया है। इनमें दो की हालत बेहद गम्भीर बताई जा रही है। उन्हें लखनऊ रेफर करने की तैयारी हो रही है। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ ही एसडीएम और सीओ भी पहुंचे हैं। सीएम योगी ने भी हादसे का संज्ञान लिया है। अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में लगने का निर्देश दिया है।

हादसा गोंडा—बहराइच मार्ग पर खुटेहना चौआ के कटेल चौराहे के पास हुआ। टेंपो ने आगे चल रहे ट्रैक्टर को ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी दौरान सामने से आ रही डबल डेकर बस से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। बस ने इतनी तेज टक्कर मारी कि बस के परखच्चे उड़ गए। टेंपो में 16 लोग सवार थे। कई लोग टेंपो में ही फंस गए और कई लोग दूर तक छिटक गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। टेंपो में फंसे और छिटके लोगों को उठा—उठाकर सड़क किनारे किया गया। जब तक लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाता अमजद (50), मरियम (60), अलीम (12), फहद (4) और मुन्नी (40) की मौत हो चुकी थी।

बताया जाता है कि कोल्हुवा में मोहम्मद याकूब के विवाह के बाद दावते वलीमा थी। हुजूरपुर थाना क्षेत्र के हीरापुर गांव के रहने वाले रिश्तेदार उसी में शामिल होने टेंपो से जा रहे थे। पूरा टेंपो बुक किया गया था। इसी दौरान रास्ते में हादसा हो गया। घायलों को लेकर मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था की गई है।

शत प्रतिशत छात्रों का दाखिला संकुल शिक्षक बैठक का उद्देश्य

संवाददाता—बलरामपुर। शिक्षा क्षेत्र श्रीदत्तगंज के कंपोजिट विद्यालय कालू बनकट के न्याय पंचायत अगया बुजुर्ग में मंगलवार को संकुल शिक्षक बैठक आयोजित की गई। जिसमें बुनियादी शिक्षा मजबूती के साथ—साथ नवीन शैक्षिक सत्र में छात्रों का शत प्रतिशत नामांकन कराने सहित अन्य संसाधनों की उपलब्धता व विद्यालय के शैक्षिक परिवेश पर विचार विमर्श किया गया।

संकुल शिक्षक बैठक की अध्यक्षता कर्मचारी संयुक्त परिषद देवीपाटन मंडल अध्यक्ष दिलीप चौहान ने किया। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाध्यापक शराफातुल्लाह ने किया। बैठक में न्याय पंचायत के सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षामित्र व अनुदेशक शामिल हुए। दिलीप चौहान से कहा कि अप्रैल का महीना बच्चों के नामांकन का होता है।

सभी अध्यापक अपने—अपने विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने पर जोर दें। साथ ही सरकार की योजना नीति एवं बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं से अवगत कराएं। कहा कि बच्चों को शासन से मुक्त किताबों के साथ निःशुल्क नामांकन, जूता, मोजा, ड्रेस, बैग, स्टेशनरी के साथ—साथ मध्यान्ह भोजन व फल एवं दूध मिल रहा है। इतना ही नहीं बच्चों को विद्यालय में मनोरंजन के साधन सहित विभिन्न खेल व ओपन जिनके सामग्री मिले हुए हैं। जहां पर उन्हें शिक्षा के साथ—साथ सेहतमंद भी बनाया जा रहा है। प्रधानाध्यापक अशोक गुप्ता ने कहा कि बेसिक के विद्यालयों में शिक्षा को मनोरंजक तरीके से पढ़ने पर जोर दिया जा रहा है।

संकुल अध्यापक शराफातुल्लाह में शिक्षकों को बारी—बारी से शिक्षा अधिगम सामग्री शिक्षण के संबंध में जानकारी को साझा किया। इस दौरान शिक्षक रामसागर, विनोद कुमार, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, शिवपाल गुप्ता, अकील अहमद, मृदुला पालीवाल, सावित्री गुप्ता, मनीष यादव, राधेश्याम यादव, सविता, अख्तर सिद्दीकी, रामनाथ यादव आदि शिक्षक एवं अभिभावक मौजूद रहे।

खेत में मिला बुजुर्ग का शव

संवाददाता—महराजगंज। श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक बड़ी घटना सामने आई। मोहम्मदा सिवान के पास फोरलेन सड़क के समीप स्थित एक खेत में एक 60 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिला।

घटना की जानकारी शाम पांच बजे तब मिली। जब एक स्थानीय ग्रामीण खेत की ओर गया। उसने तुरंत डायल—112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

शव मिलने की खबर सुनकर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान और मृत्यु के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी रही।

जन्म जन्मांतर के पुण्य अर्जित होने पर संतों का दर्शन होता है —महंत गणेश दास

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

अयोध्या। जन्म जन्मांतर के पुण्य अर्जित होते है तो संत समाज का दर्शन और सानिध्य प्राप्त होता है और यह शुभ अवसर सदगुरुदेव भगवान संतसेवी गौ सेवी ब्राह्मण व दरिद्र नारायण की सेवा करने वाले और सेवा को ही धर्म मानने वाले श्री अवध बिहारी कुंज के पूर्वाचार्य अनंत श्री विभूषित महंत रामसुखित दास महाराज के चौथी पुण्यतिथि पर अयोध्या सहित देश के कोने कोने से आए हुए संतो महंतों ने श्रद्धांजलि अर्पित की यह बातें श्री भगवान अवध बिहारी रामानुज सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अवध बिहारी कुंज के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महंत गणेश दास महाराज ने बताई। उन्होंने बताया कि सनातन परंपरा का यह वैभव है कि हम प्रतिदिन गुरुदेव भगवान की पूजा करते हैं और उनकी पुण्यतिथि पर संतो के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और आज जो कुछ भी है वह सब गुरुदेव भगवान की आशीर्वाद से है। श्री महाराज जी ने बताया उन्हीं के आशीर्वाद से महाकुंभ में गुरुदेव भगवान का खालसा शेखावाटी खालसा जयपुर राजस्थान में लाखों लोग आये बहुत अच्छे से कुंभ हुआ मैं सभी को साधुवाद देता हू और सभी लोग आश्रम से जुड़े रहें यह भी कामना करता हू।उन्होंने बताया कि इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया जिसमें पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न कौन से संत, महंत और श्रद्धालु भक्त श्री महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस अवसर पर श्री अखिल भारतीय निर्वाणी अनी अखाड़ा के श्री महंत हमारे काका गुरु मुरली दास महाराज का हमारे ऊपर विशेष अनुग्रह है और सभी पर गुरुदेव भगवान की कृपा बनी रहे यही कामना करते है। इस अवसर पर मणिराम दास छावनी उत्तराधिकारी कमल नयन दास, महंत मनीष दास, महामंडलेश्वर महंत गिरीश दास,महंत पवन कुमार दास,महंत उत्तम दास, महंत सीताराम दास त्यागी, महंत राम कुमार दास, महंत रामायणी रामशरण दास,महंत उमेश दास सहित हजारों संतों महंतों ने श्री महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से असलहा सटाकर एक लाख की लूट

संवाददाता—देवरिया। देवरिया सदर कोतवाली के सेंटर चौराहे के समीप मंगलवार को बाइक सवार बदमाशों ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को असलहा सटा कर एक लाख रुपये दिन—दहाड़े लूट लिया। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। लूट की सूचना मिलते ही महकमे में खलबली मच गई। सीओ समेत अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंच घटना की जानकारी ली। गोरखपुर जनपद के सहजनवा थाना क्षेत्र के ग्राम डोमहार माफी के रहने वाले अमितेश कुमार गुप्ता शहर के भुजौली कालोनी स्थित एक फाइनेंस कंपनी में कार्य करते हैं और स्वयं सहायता समूह का पैसा वसूलते हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार को वह वसूली करने गए थे। वसूली कर वह लौट रहे थे। अभी वह सेंटर चौराहा के समीप पहुंचे थे कि बाइक सवार दो बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और असलहा लगाकर उनके पास मौजूद एक लाख रुपये लूट लिया। इसके बाद वह फरार हो गए। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई।

आम बिनने गई बालिका के साथ किशोर ने किया दुष्कर्म

संवाददाता—देवरिया। गांव के बाहर बगीचा में आम बीनने के लिए एक बालिका को पड़ोसी किशोर ने सोमवार की शाम को एक पुराने खंडहर मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता की सूचना पर एसपी मौके पर पहुंचे और पीड़ित से घटना के बारे में जानकारी लिया। लार पुलिस ने पिता की तहरीर पर आरोपित किशोर के विरुद्ध दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य को एकत्र किया।

लार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासिनी बारह वर्षीय किशोरी कक्षा चार की छात्रा है। वह सोमवार की शाम को गांव के बाहर एक बगीचा में आम बीनने के लिए गई थी। इसी दौरान गांव का ही एक किशोर बगीचा में पहुंचा और बालिका को और आम देने का झांसा दिया। वह उसे बहला—फुसलाकर बगीचे के पास स्थित एक खंडहर हो चुके मकान में ले गया।

जहां पर किशोर ने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। देर शाम को बालिका घर पहुंची। घर आने पर किशोरी को गुमसुम बैठा देख जब उसकी मां ने पूछा तो किशोरी ने रोते हुए पूरी घटना बताई। बात सुनकर स्वजन के होश उड़ गए। पीड़िता के पिता ने लार पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही सेलमपुर के क्षेत्राधिकारी और प्रभारी निरीक्षक गांव पहुंचकर घटना के बारे में पूछताछ की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपित के घर पर छापेमारी की, लेकिन वह पहले ही फरार हो गया था। पुलिस ने घेराबंदी किया तो उसे लार से दबोच लिया।

करंट की चपेट में आने से दो युवक की मौत, दो घायल, शादी के लिए टेंट लगाते समय हुआ हादसा

संवाददाता—कुशीनगर। पडरौना में एक शादी समारोह के दौरान 11 हजार वोल्ट की लाइन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत हो गयी। दोनों युवक मैनुद्दीन की बेटी रूबीना की शादी की तैयारी कर रहे थे। शादी के लिए टेंट लगा रहे थे।

इस घटना के बाद दूल्हे के पिता मैनुद्दीन और ग्रामीणों ने शादी सादगी से करने का निर्णय लिया है। बाजा—शहनाई नहीं बजेगी और केवल जरूरी रस्में ही पूरी की जाएगी। खेत में लगने वाला टेंट भी रोक दिया गया है। शादी वाले घर की सुबह की चहल—पहल मातम में बदल गई है।

हादसे में दो मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। जबकि दो अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। मृतकों में पडरौना गुप्ती के शाहिद मजार निवासी मुबारक (36) और बसहियां बनबीरपुर के टोला पिपरा निवासी मुस्तफा (20) शामिल हैं।

मुबारक अपनी पत्नी तेतत्री खातून के साथ बसहिया बनवीरपुर में रहकर मजदूरी करता था। उसकी मौत से परिवार के सामने रोजी—रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं मुस्तफा अविवाहित था और परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण टेंट में काम करता था।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने दो लोगों की मौत की पुष्टि की। दो घायलों का इलाज जारी है।

ट्रेन से कटकर महिला की मौत

संवाददाता—महराजगंज। कोल्हुई थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। यह घटना नौतनवा से भगीरथपुर की ओर जाने वाली रेलवे लाइन पर ग्राम तेंदुही के सामने हुई। मृतका की पहचान चौनपुर टोला बुद्कुदवा निवासी आशा देवी के रूप में हुई। वह रमेश की पत्नी थीं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महिला रेलवे ट्रैक के नजदीक पहुंची थी। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।

कार्यालय ग्राम पंचायत-करियापार राउत
वि0ख0 -बस्ती सदर, जनपद-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

पत्रांक— मेमो / टेण्डर विज्ञप्ति/2025—26 दिनांक 05.04.2025

ग्राम पंचायत करियापार राउत द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/ मनरेगा/ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान / स्वच्छ भारत मिशन—ग्रामीण / एस०एल० डब्लू०एम०/सासद निधि/विधायक निधि/अन्त्येष्टि स्थल का विकारां /मुख्यमन्त्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2025—26 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईंट, ईंट गिट्टी, सीमेण्ट, लोकल सैंड, बालू, मोरंग, मिट्टी बुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टालाकिंग ईंट 80 एम०एम०, सरिया, एंगिल, फेसिंग जाली, जी० आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत व रिबोर से जुड़े सामग्री व उपकरण, पेण्टिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला. ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत करियापार राउत के निविदा बाक्स में दिनांक 28.04. 2025 तक अपरान्ह 200 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 300 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर धनराशि मु० 5000.00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 07.04.2025 से दिनांक 27.04.2025 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

नियम व शर्तें

1 जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2 आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य
3 कार्यालय ग्राम पंचायत करियापार राउत द्वारा नामित कर्मचारियो तथा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4 सामग्री/उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत करियापार राउत की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई बुलाई व्यय देय नहीं होगी।
5 जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6 सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7 सामग्री/उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8 प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा।
9 आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10 घरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/ डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत करियापार राउत के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11 आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12 ग्राम प्रधान/ सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक /तकनीकी सहायक / कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नही की जायेगी उक्त आशय की नोटरी शपथ पत्र 100 रूपये के स्टैम्प पेपर पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
13 आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/ अवर अभियन्ता/ कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14 निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 500 रू० है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15 सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16 निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(अभिषेक कुमार प्रेमी) (जितेन्द्र अरोरा)
प्रधान | सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत—करियापार राउत । ग्राम पंचायत—करियापार राउत ।

सेवा के प्रतिमूर्ति थे पूर्वाचार्य महंत लक्ष्मण दास

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

अयोध्या। संतो की सराय के रूप में जानी जाने वाली अयोध्या नगरी में समय—समय पर भजनानंदी संत होते रहे हैं जिनको ठाकुर जी के नाम जप पर अटूट श्रद्धा रहती थी और उनका मानना था की सेवा और नाम जब से ही पारब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को महसूस किया जा सकता है इन्हीं संतो की मणि माला मे से एक थे डांडिया मंदिर के पूर्वाचार्य महंत लक्ष्मण दास महाराज जिनकी पुण्यतिथि पर संतो महंतों भक्तों श्रद्धालुओं के साथ राजनेताओं की श्रृंखला लगी रही और सभी ने श्री महाराज जी को नमन करते हुए कहा कि ऐसे संत तपस्वी बहुत ही कम होते हैं जो ठाकुर जी के भजन के साथ सेवा को ही मात्र एक लक्ष्य मानकर जीवन भर चलते रहते है। ऐसे संतो की स्मृति जन्म जन्मांतर तक जीवित रहती है और उनके जीवन से सदा प्रेरणा मिलती रहती है। मंदिर के वर्तमान महंत महामंडलेश्वर गिरीश दास महाराज ने सभी संतों का स्वागत सत्कार किया। श्री महाराज जी को श्रद्धांजलि निवेदित करने के लिए मणिराम छावनी के उत्तराधिकारी मान्य कमल नयन दास, जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामदिनेशाचार्य,नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास, श्री राम वल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास, महंत रामानंद दास, महंत वैदेही बल्लभ शरण, महंत राजीव लोचन शरण, महंत गिरीश पति त्रिपाठी, महंत जनार्दन दास, महंत शशिकांत दास, महंत मनीष दास, महंत अवनीश, दास श्री राम आश्रम के महंत जयरामदास,प्रियस दास सहित सैकड़ों की संख्या में संत महंत भक्त एवं जन नेता उपस्थित होकर के श्री महाराज जी के प्रति श्रद्धा निवेदित किए।

जॉइंट नगर पालिका के वाइस चेयरमैन स्वामी रामदास को संतों ने अर्पित की श्रद्धांजलि

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

अयोध्या। श्री वैष्णों गोकुल भवन के महंत सिद्ध संत राम मंगल दास के शिष्य अयोध्या फैजाबाद जॉइंट नगर पालिका के वाइस चेयरमैन अनंत विभूषितस्वामी राम दास शिष्य हनुमत ध्यान भवन प्रहलाद घाट परिक्रमा मार्ग के पीठाधीश्वर महंत पवन कुमार दास के संयोजन में संतो महंतों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और बताया कि हमारे गुरुदेव रामदास महाराज ने अपने समय में जब अयोध्या फैजाबाद एक ही नगर पालिका थी तब उन्होंने अनेकों विकास कार्य किया आज भी अयोध्या के पुराने संत महंत श्री महाराज जी को याद करते हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष महाराज जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है और संतों, महंतों द्वारा उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला जाता है। महाराजजी ने बताया राजनीति के साथ—साथ गुरुदेव भगवान परम भजनानंदी संत थे और संत सेवा गौ सेवा विद्यार्थी सेवा अतिथि सेवा उसे समय भी किया करते थे जब लोगों के पास संसाधन कम थे उसे समय श्री महाराज जी प्रतिवर्ष दर्जनों विद्यार्थियों को शिक्षा दिलाया करते थे और स्वयं भी सनातन वैष्णवों परंपरा के अनुसार शिक्षा दिया करते थे यही कारण है कि आज भी बड़े ही आदर सम्मान के साथ श्री महाराज को सभी संत महंत याद करते हैं और उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्री महाराज जी के श्रद्धांजलि सभा में मणिरामदास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास, जानकी घाट बड़ा स्थान के महंत जन्मेजय शरण, महंत मनीष दास, महंत उत्तम दास, श्री राम आश्रम के महंत जयराम दास सहित सैकड़ो संतों महंतो श्रद्धांजलि अर्पित की।

कार्यालय ग्राम पंचायत-पोखरभिटवा
वि0ख0 -उसका बाजार, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **पोखरभिटवा** विकास खण्ड उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पंद्रहवां वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त/ स्वच्छ भारत मिशन एवम अन्य शासकीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृति तथा कराये जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु इंटरलाकिंग प्रथम श्रेणी ईट, बालू, सीमेन्ट, मोरंग, सरिया, पेन्ट, वायरिंग, पत्थर की गिट्टी, टाइल्स, हियूमपाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, हार्डवेयर, सफाई कर्मी, गोवंश भरण—पोषण, हेतू भूसा दाना, टूल किट, इण्डिया मार्का पम्प, मरम्त, रिबोर पंचायत भवन निर्माण व मरम्मत व सार्वजनिक स्थान पर बैठने हेतु बेंच निर्माण ग्राम पंचायत में उपस्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत/सामुदायिक शौचालय मरम्मत व निर्माण, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धक (एस0एल0डब्लू0एम0), इलेक्ट्रानिक मटेरियल आदि समानो की व समय समय पर आवश्कतानुसार कार्य करने सम्बंधित सामग्री इत्यादि की आपूर्ति हेतु निविदा सत्र 2025—26 हेतु आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनाँक 22—04—2025 को अपरान्ह 10.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा तथा वाछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत कार्यालय **पोखरभिटवा** के निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। और उसी दिन दिनांक 22.04.2025 पूर्वाहन 03:00 बजे ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेन्डर खोला जायेगा तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मूल्य 5000— रुपये होगी।

नियम व शर्तें

1—जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगी, वही निविदा स्वीकृति की जायेगी ।
2—आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकरदाता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3—सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में कार्य स्थल पर ही करनी होगी।
4— जो दरे प्रस्तुत की जाये वह जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाये।
5— सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जायेगी।
6— सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ाई जा सकती है।
7— ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सचिव/सदस्य/बीडीसी/जिला पंचायत सदस्य/ तकनीकी सहायक/रोजगार सेवक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बंधित एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी। उक्त आशय की नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।
8— निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियंता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा।
9— आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। आपूर्ति हेतु सम्बंधित के पास डीलरशिप/एजेंसी होना अनिवार्य है अन्यथा की दशा में आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति हेतु खरीदी गयी सामग्री का पक्का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10— निविदा फॉर्म ग्राम पंचायत **पोखरभिटवा** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 (एक सौ) रुपया है पर ही स्वीकार किया जायेगा। अन्य जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय **पोखरभिटवा** से प्राप्त की जा सकती है।

ग्राम प्रधान—रूआब अली | **सचिव—मनोज प्रभाकर पटेल**
ग्राम पंचायत—पोखरभिटवा | ग्राम पंचायत—पोखरभिटवा
विकास खण्ड—उसका बाजार | विकास खण्ड—उसका बाजार
जनपद —सिद्धार्थनगर | जनपद —सिद्धार्थनगर

कार्यालय ग्राम पंचायत-महरिया
वि0ख0 -उसका बाजार, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **महरिया** विकास खण्ड उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पंद्रहवां वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त/ स्वच्छ भारत मिशन एवम अन्य शासकीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृति तथा कराये जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु इंटरलाकिंग प्रथम श्रेणी ईट, बालू, सीमेन्ट, मोरंग, सरिया, पेन्ट, वायरिंग, पत्थर की गिट्टी, टाइल्स, हियूमपाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, हार्डवेयर, सफाई कर्मी, गोवंश भरण—पोषण, हेतू भूसा दाना, टूल किट, इण्डिया मार्का पम्प, मरम्त, रिबोर पंचायत भवन निर्माण व मरम्मत व सार्वजनिक स्थान पर बैठने हेतु बेंच निर्माण ग्राम पंचायत में उपस्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत/सामुदायिक शौचालय मरम्मत व निर्माण, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धक (एस0एल0डब्लू0एम0), इलेक्ट्रानिक मटेरियल आदि समानो की व समय समय पर आवश्कतानुसार कार्य करने सम्बंधित सामग्री इत्यादि की आपूर्ति हेतु निविदा सत्र 2025—26 हेतु आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनाँक 23—04—2025 को अपरान्ह 01.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा तथा वाछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत कार्यालय **महरिया** के निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। और उसी दिन दिनांक 23.04.2025 पूर्वाहन 03:00 बजे ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेन्डर खोला जायेगा तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मूल्य 5000— रुपये होगी।

नियम व शर्तें

1—जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगी, वही निविदा स्वीकृति की जायेगी ।
2—आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकरदाता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3—सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में कार्य स्थल पर ही करनी होगी।
4— जो दरे प्रस्तुत की जाये वह जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाये।
5— सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जायेगी।
6— सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ाई जा सकती है।
7— ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सचिव/सदस्य/बीडीसी/जिला पंचायत सदस्य/ तकनीकी सहायक/रोजगार सेवक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बंधित एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी। उक्त आशय की नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।
8— निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियंता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा।
9— आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। आपूर्ति हेतु सम्बंधित के पास डीलरशिप/एजेंसी होना अनिवार्य है अन्यथा की दशा में आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति हेतु खरीदी गयी सामग्री का पक्का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10— निविदा फॉर्म ग्राम पंचायत **महरिया** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 (एक सौ) रुपया है पर ही स्वीकार किया जायेगा। अन्य जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय **महरिया** से प्राप्त की जा सकती है।

ग्राम प्रधान—ओम प्रकाश सिंह | **सचिव—मनोज प्रभाकर पटेल**
ग्राम पंचायत—महरिया | ग्राम पंचायत—महरिया
विकास खण्ड—उसका बाजार | विकास खण्ड—उसका बाजार
जनपद —सिद्धार्थनगर | जनपद —सिद्धार्थनगर

ओझा की हत्या का खुलासाः बेटी को झाड़–फूंक के लिए बुलाने से नाराज था पड़ोसी, बांके के वार से ली जान

संवाददाता–अयोध्या। एक मंदिर के पुजारी की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। थाना इनायत नगर क्षेत्र के बिशुनपुर डोमियारा में 7 अप्रैल को ओझा राजबहादुर यादव उर्फ बाबा बेचन दास की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। मृतक के बड़े बेटे दिनेश कुमार यादव की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद पुलिस टीम खुलासे के लिए लगी थी।

पुलिस टीम ने आरोपी रोहित कुमार चौरसिया पुत्र हृदय राम निवासी अहरन सुवंस हाल पता बिशनपुर डोमियारा को गिरफ्तार किया है। रोहित चौरसिया मृतक का पड़ोसी था। पूछताछ में उसने बताया कि उसे शक था कि ओझा ने उसके परिवार पर भूत–प्रेत कर दिया है। उसका पूरा परिवार बीमार रहने लगा था। घटना वाले दिन ओझा ने रोहित की बेटी को बिना बताए झाड़–फूंक के लिए अपने घर बुला लिया था। रात में जब रोहित अपनी बेटी की तलाश में ओझा के कमरे पर पहुंचा, तो दोनों को वहां मौजूद पाया। गुस्से में आकर उसने वहीं रखे बांका से ओझा के सिर, गर्दन और चेहरे पर कई वार कर दिए।

हत्या के बाद आरोपी बारून रोड की तरफ भाग गया। उसने अपने खून से सने कपड़े धोकर घर में छिपा दिए थे। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर ये कपड़े बरामद कर लिए हैं। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बलवंत चौधरी ने बताया कि इस घटना के खुलासे के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर श्री यश त्रिपाठी और प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र पाण्डेय एवं एसओजी प्रभारी अमरेंद्र भी लगे थे। पुलिस टीम आरोपी को हल्के द्वारिका मोड़ से बीती रात 10:00 बजे गिरफ्तार कर थाने लाया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम उपनिरीक्षक अविनाश सिंह, आलोक कुमार सिंह, महिला उप निरीक्षक सोनाली गुप्ता, हेड कांस्टेबल ऋषिकेश दुबे, मनीष तिवारी कांस्टेबल धीरेंद्र मिश्रा आशीष सिंह नवीन राय महिला कांस्टेबल अंजना यादव शामिल रही। पुलिस टीम ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

शराबी युवक ने अपनी वृद्ध मां और दो मासूम बेटियों को मारपीट कर घर से खदेड़ा

संवाददाता–संतकबीरनगर। संतकबीरनगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के भण्डा गांव निवासी एक शराबी युवक ने पहले अपनी वृद्ध मां और दो मासूम बेटियों को नशे में धुत होकर एक कमरे में बन्द कर बुरी तरह से मारा–पीटा। उसके बाद मां और दोनों मासूम बेटियों को घर से खदेड़ दिया। घटना को लेकर घायल वृद्ध मां की तहरीर पर पुलिस ने उसके शराबी बेटे के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी हैंसर बाजार में भर्ती कराया है। घटना के संबंध में पुलिस को दी गई तहरीर में थाना क्षेत्र के भण्डा गांव निवासी वृद्ध महिला प्रेमा देवी पत्नी स्व. नन्दलाल ने बताया कि उसके पति की चार वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। उसका बेटा मनोज शराबी किस्म का युवक है और दिन–रात शराब के नशे में धुत रहता है जिसकी वजह से उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर फरार हो गई है। वह खुद वृद्धावस्था होने के बावजूद बेटे की 9 वर्षीय व 7 वर्षीय दो मासूम बेटियों की देखभाल करती है। बेटा मनोज नशे में धुत होकर उसे और अपनी दोनों मासूम बेटियों को लेकर पैसे के लिए हमेशा मारता–पीटता है। साथ ही सारी पैतृक संपत्ति अपने नाम करने के लिए उसके ऊपर रोज दबाव बना रहा है। संपत्ति नाम न करने पर बेटा उसे जान से मार देने की धमकी भी दे रहा है। अपनी दोनों बेटियों को स्कूल नहीं जाने देता है। साथ ही बेटियों को भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए उन्हें हमेशा मारता–पीटता है। 112 नम्बर फोन करने पर पुलिस आती है और उसे समझा कर चली जाती है। पुलिस के जाते ही वह फिर वही हरकत शुरू कर देता है। पुलिस के जाने के बाद सोमवार को बेटे ने नशे में धुत होकर उसे और अपनी दोनों बेटियों को कमरे में बन्द कर बुरी तरह मारा–पीटा और उसे घर से खदेड़ दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने शराबी मनोज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक धनघटा रामकृष्ण मिश्र ने बताया कि जल्द ही हमलावर शराबी युवक को गिरफ्त में लेकर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

भव्य कलश यात्रा के साथ श्री विष्णु महायज्ञ प्रारम्भ

संवाददाता–संतकबीरनगर। नगरपंचायत बखिरा के झुंगिया में श्री विष्णु महायज्ञ के लिए विधि विधान से कलश शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकली कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। शोभायात्रा में लग रहे जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा के समापन के बाद वैदिक मंत्रोच्चार व पूजा पाठ के साथ यज्ञ प्रारम्भ हुआ। झुंगिया काली मन्दिर से गाजे बाजे के साथ शुरू हुई कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया। कलश यात्रा बखिरा कस्बे के मंगलबाजार, शनिचरा बाजार, इंटर कालेज चौराहा के बाद अमरडोभा, लेडुआ महुआ होते हुए ढोढ़या के पास झील पर पहुंची। जहां 251 कन्याओं द्वारा कलश में जल भरने के बाद पुनः झुंगिया स्थित यज्ञ स्थल पर वापस पहुंची। यज्ञ मंडप की परिक्रमा के बाद विद्वान आचार्यों के द्वारा वैदिक मंत्रोचार के पाठ के साथ कलश स्थापना की गई। महायज्ञ के दौरान कथा का रसपान कराया जाएगा। वृन्दावंन से आए कलाकारों द्वारा रासलीला का मंचन होगा। इस अवसर पर मेंहदावल के पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल, हरिओम बक्सी, बबलू सिंह, शिव शंकर, भरथरी निषाद, लाल चन्द्र, राम चन्द्र, बलराम, पन्नेलाल, गोपाल, नन्दलाल, प्रहलाद समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान नवम अति0 सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0–91/2025
मूलवाद सं0– 304/2020
अयोध्या प्रसाद
बनाम
काशीराम आदि

5. मिट्टू उम्र लगभग 60 वर्ष 6. राम भवन उम्र लगभग 59 वर्ष पुत्रगण स्वर्गीय लालू निवासीगण ग्राम किशुनपुर तप्पा गौर परगना बस्ती पश्चिम तहसील हर्रैया जिला–बस्ती
–प्रतिवादी विपक्षी द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 08–05–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 08 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाव दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाव ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबावदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबावदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमूआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–137/2025
गोवर्धन आदि
बनाम
माया वर्मा

1. माया वर्मा उम्र लगभग 33 वर्ष पुत्री सूर्य प्रकाश चौधरी पत्नी अमित वर्मा साकिन 2157 ब्लाक मार्ग सदर ब्लाक कटरा मड़वानगर पोस्ट गांधी नगर तहसील व जिला–बस्ती

तारीख पेशी 05–05–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 05 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाव दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाव ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबावदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबावदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमूआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

बेदखली सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी खैराती उर्फ मोहम्मद रजा पुत्र श्री अली रजा ग्राम– मेहतर टोला बस्ती खास थाना– व पोस्ट–पुरानी बस्ती जनपद बस्ती (उ.प्र.) का निवासी है। मेरे 3 पुत्र अहमद रजा, मो. सईद व मुवस्सिर है। मेरा बड़ा पुत्र अहमद रजा और उसकी पत्नी मेनाज खातून परिवार के कहने, सुनने में नहीं है और आये दिन कलह किया करते हैं। उनकी आदतों से परेशान होकर मैने उन्हें दिनांक 11–4–2025 से अपने चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। अपने किसी भी कृत्य, लेन देन आदि के लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्रकाशन इसलिये करा रहा हूं कि वक्त जरूरत पर काम आवे।

बेदखली सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी रामकरन पुत्र स्वर्गीय श्रीराम ग्राम– सिरसिया थाना– गौर तहसील हर्रैया जनपद बस्ती (उ.प्र.) का निवासी है। मेरे 4 पुत्र रामसागर, राम सजीवन, अर्जुन प्रसाद, जमुना प्रसाद और 2 बेटियां सुशीला देवी और संगीता देवी है। मेरा छोटा पुत्र जमुना प्रसाद परिवार के कहने, सुनने में नहीं है और आये दिन शराब पीकर कलह किया करता है। वह मुझे भी मारता पीटता है। उसकी बुरी आदतों से परेशान होकर मैने उसे दिनांक 2–4–2025 से अपने चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। अपने किसी भी कृत्य, लेन देन आदि के लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा। प्रकाशन इसलिये करा रहा हूं कि वक्त जरूरत पर काम आवे।

ओपीडी में हर चौथा मरीज सर्दी–जुकाम, हरारत से पीड़ित

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में मौसम के उतार–चढ़ाव से लोग बीमार पड़ने लगे हैं। मंगलवार को मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में 1311 मरीजों ने परामर्श लिया। इसमें 300 से अधिक मरीज वायरल की समस्या से पीड़ित रहे, यानी की ओपीडी में पहुंचा हर चौथा मरीज सर्दी, जुकाम व हरारत की समस्या को लेकर चिकित्सकीय परामर्श लिया। इस दौरान चिकित्सकों ने बदलते मौसम में सतर्क रहने का सुझाव देते हुए खानपान पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। फिजीशियन डॉ. सीबी चौधरी ने बताया कि होली के बाद से मौसम में तेजी से बदलाव हुआ है। दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ने के साथ चटकदार धूप ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में अचानक मौसम में बदलाव से तापमान नीचे आया। फिर तापमान बढ़ गया है। इस मौसम में लापरवाही किए लोग दस्त, उल्टी, चक्कर, हरारत, बुखार, बेचैनी आदि समस्या से पीड़ित हुए हैं। इसमें लगभग हर उम्र के लोग शामिल हैं। परेशान हाल में लोग ओपीडी में परामर्श ले रहे हैं। यह समस्या लगभग एक सप्ताह तक बने रहने की उम्मीद है। इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए चिकित्सकीय परामर्श के साथ–साथ घर पर भी सतर्कता व अलर्ट रहने का सुझाव दिया जा रहा है।

मरीज–तीमारदारों को बताया जा रहा है कि तेज धूप से लौटने के बाद तत्काल पानी न पीएं। बाहर से आएं तो एसी–कूलर के पास तुरंत बैठने से बचें। तले–भुने खाद्य पदार्थों का सेवन न करें, भरपेट भोजन से बचें। दिन में कई बार खाने से बचें। इससे भी समस्या खड़ी हो रही है। वहीं शोहरतगढ़ क्षेत्र के बनकटवा गांव की कुसुमलता कुछ दिन से हरारत, बुखार, जुकाम से पीड़ित थी। उन्होंने समस्या बताकर परामर्श लिया। चिकित्सक ने पांच दिनों की दवा देकर फिर बुलाया है। उन्होंने बताया कि लिखी गई दवा अंदर से मिली है।

राजकीय पुस्तकालय स्थापित करवाने की मांग

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह को सौंप डुमरियागंज में राजकीय पुस्तकालय स्थापित करवाने की मांग की है। क्षेत्र के फूलचंद्र, रामिमलन, संतोष सिंघानिया, सचिन भास्कर, मनोज सिद्धार्थ, दिलीप कुमार, रमन, अर्जुन प्रसाद, अजय कुमार, रणजीत सिंह आदि ने बताया कि सिद्धार्थनगर जिला शिक्षा के क्षेत्र में अन्य जिलों की अपेक्षा काफी पिछड़ा हुआ है। पुस्तकों के अभाव में यहां के गरीब छात्र–छात्राओं का पठन–पाठन सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है। यहां पर एक भी लाइब्रेरी नहीं है। इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने डुमरियागंज में एक राजकीय पुस्तकालय की स्थापना करने की मांग की है

अयोध्या के सौन्दर्यीकरण व पर्यटन विकास के लिए 92.46 करोड़ की योजनायें स्वीकृत

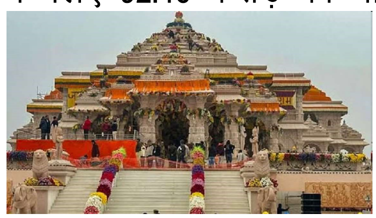

संवाददाता–अयोध्या। पर्यटन विभाग ने अयोध्या में पर्यटन विकास एवं अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण के लिए 92.46 करोड़ की 16 परियोजनाएं स्वीकृत की है। ये परियोजनाएं तीर्थ विकास परिषद अयोध्या के प्रस्ताव पर स्वीकृति की गई हैं। इन परियोजनाओं को पूरा करने का दायित्व कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। समस्त निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पालन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि तीर्थ विकास परिषद अयोध्या के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रस्ताव पर विकासखंड तारुन स्थित कम्हरिया बाबा मंदिर का पर्यटन विकास, अयोध्या में राम की पैड़ी पर दर्शक दीर्घा एवं पर्यटन सुविधाओं का कार्य, अयोध्या में पावन नगरी से जुड़े मखौड़ा और भरतकुंड श्रावण क्षेत्र श्रृंगी ऋषि का आश्रम और दशरथ समाधि स्थल का सौन्दर्यीकरण कार्य तथा ठाकुर राम जानकी नई पंचायती मंदिर का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण कराया जाएगा।

जयवीर सिंह ने बताया कि इसी प्रकार विधानसभा मिल्कीपुर स्थित विकासखण्ड अमानीगंज के रामपट्टी में स्थित गहनाग बाबा धाम का पर्यटन विकास, सुच्चितागंज सोहावल का पर्यटन विकास, तुलसीदास जी का छावनी मंदिर का पर्यटन विकास, सरयू नदी के राजघाट के निकट एम्फीथिएटर एवं फूड कोर्ट का निर्माण, अयोध्या के साकेत सदन में पंचकोसी, चौदहकोसी एवं चौरासी कोसी परिक्रमा संग्रहालय एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण तथा ब्लॉक मसूदा के ग्राम अबानपुर सरोहा में ग्रामीण पर्यटन के अंतर्गत पर्यटन सुविधा केन्द्र का निर्माण किया जाएगा।

पर्यटन मंत्री ने बताया कि अयोध्या में रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ, जन्मभूमि पथ, मिनिस्टिंग फैन, कैनोपी आदि का कार्य, वार्ड संख्या13, आचार्य नरेन्द्रदेव के परिक्षेत्र में स्थित गुलाब बाड़ी फार्म का सौन्दर्यीकरण, कौशलेश सदन का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण, भास्कर भवन का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण, अयोध्या स्थित संत निवास का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य तथा गुप्तार घाट के समाने यात्रियों की सुविधा के लिए बेंच लगाने और प्रकाश व्यवस्था का कार्य कराया जाएगा।

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
मु0नं0–
अन्तर्गत धारा 116 उ0प्र0रा0 सं0–2006
अदालत– श्रीमान उप जिलाधिकारी (न्यायिक महोदय बस्ती जिला–बस्ती
श्रीमती अमरूनिशा
बनाम
सरकार

बावत ग्राम बानपुर तप्पा कबरा परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती
1. सोहद्दू पुत्र तेजई 2. मज्जन पुत्र तेजई 3. साबिर अली पुत्र तेजई 4. मुकीम पुत्र तेजई 5. मुहम्मद नईम शेख 6. मुबारक शेख 7. वाजिद अली 8. जहीर शेख पुत्रगण इम्तियाज 9. श्रीमती बदरूनिशा पत्नी स्व0 इम्तियाज शेख 10. जाहिद अली 11. शाहिद अली 12. कादिर अली पुत्रगण असगर 13. श्रीमती हजरतुनिशा पत्नी असगर अली 14. झब्बर 15. गनी पुत्रगण अनवर 16. जवीउल्लाह पुत्र मोहनी उर्फ मुतर्जा 17. श्रीमती शाहजहाँ पत्नी मोहनी उर्फ मुतर्जा साकिनान मौजा बानपुर तप्पा कबरा परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 24–04–2025

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 24 माह 04 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाव दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाव ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबावदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबावदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमूआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 15 माह 04 सन 2025 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान अष्टम अति0 सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–111/1997
रामसूरत
बनाम
राम निहोर आदि

2/1 चन्द्री प्रसाद चतुर्वेदी पुत्र राम चन्द्र 2/2 शान्ती चतुर्वेदी पत्नी राम चन्द्र 2/3 दुर्गावती पुत्री राम चन्द्र पत्नी महेन्द्र भैसमथान तप्पा फूलेथू परगना मगहर पूरब तहसील खलीलाबाद जिला–संतकबीरनगर 2/4 रन्जना देवी पुत्री राम चन्द्र पत्नी मनोज कुमार साकिन फेटवा तप्पा कलवारी परगना नगर पूरब तहसील व जिला–बस्ती

तारीख पेशी 08–05–2025

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो वाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 08 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबावदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान चतुर्थ अति0 सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–647/2015
राम चरित्र चौधरी आदि
बनाम
पूर्णमासी यादव आदि

1. पूर्णमासी यादव सचिव बस्ती सहकारी क्रय विक्रय समिति लि0 राजाबाजार बस्ती 2. बस्ती सहकारी क्रय विक्रय समिति राजा बाजार बस्ती द्वारा सचिव 3. अध्यक्ष बस्ती सहकारी समिति क्रय विक्रय समिति लि0 बस्ती 4. सहायक आयुक्त/जिला सहायक निबन्धक कोआपरेटिव बस्ती कार्यालय विकास भवन बस्ती 5. रामदेव 6. सहदेव पुत्रगण बटोही 7. श्रीमती शोभा पत्नी हीरा ग्राम/मौजा नरहरिया तप्पा पड़िया परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला–बस्ती 8. शीतला प्रसाद शुक्ला 9. जैनेन्द्र प्रसाद शुक्ला पुत्रगण भगौती प्रसाद शुक्ल ग्राम/मौजा चैनपुरवा तप्पा पड़िया परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला–बस्ती

तारीख पेशी 06–05–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 06 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाव दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाव ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबावदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबावदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमूआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

बिस्कोहर में निकाली गई स्कूल चलो रैली

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। भनवापुर क्षेत्र के कोहड़ौरा, बढ़हरा, बिस्कोहर, बेलवा बाबू दलपतपुर और डेगहर स्थित विद्यालयों के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान थीम के स्कूल चलो अभियान की ब्लॉक स्तरीय रैली निकाली गई। इसमें विद्यालयों के छात्र–छात्राओं ने बढ़–चढ़कर भाग लिया। बिस्कोहर में एसडीएम कुणाल ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए बिस्कोहर के पश्चिम टोले में पहुंची जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में एसडीएम ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब का जीवन समर्पण, संघर्ष और शिक्षा का प्रतीक है। स्कूल चलो अभियान के तहत एसडीएम ने अभिभावकों को भी जागरूक करते हुए बच्चों को नियमित स्कूल भेजने की अपील की। कार्यक्रम में जन सूचना जन संपर्क अभियान लखनऊ के तरफ से संचारी रोग, शिक्षा व जीवन का अधिकार पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। इस दौरान मौजूद अधिकारियों की ओर से प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक के 30 छात्र–छात्राओं को नए सत्र की किताबें दी गई। इस मौके पर बीएसए शैलेश कुमार, बीईओ भनवापुर राजेश कुमार, डीसी अमित शुक्ल, रितेश श्रीवास्तव, सुरेन्द्र श्रीवास्तव, कमलापति त्रिपाठी, उमाकांत गुप्त, गोपेश दुबे, बब्बन प्रसाद यादव, अभयंकर सिंह, धर्मेन्द्र, रवि सिंह, रघुनंदन कुमार, यशोदानंद मिश्र आदि मौजूद रहे।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–236/2023
शान्ती देवी
बनाम
रामकरन

1. रामकरन उम्र लगभग 55 वर्ष पुत्र रामलाल साकिन जमराव तप्पा कपरी महसो परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला–बस्ती

तारीख पेशी 18–04–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 18 माह 08 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाव दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाव ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबावदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबावदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमूआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान चतुर्थ अति0 सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–652/2018
प्रमोद कुमार उपाध्याय
बनाम
भरत आदि

1. भरत सावलानी आयु लगभग 55 साल पुत्र अज्ञात निवासी मौजा दखिन दरवाजा कस्बा बस्ती खास तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला–बस्ती 2. मुंशीराम गोपाल उम्र 60 साल पुत्र नामालूम निवासी ग्राम रेहरवा (मड़हर) तप्पा पड़िया परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 15–05–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 15 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाव दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाव ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबावदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबावदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमूआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

स्थापना दिवस के कार्यक्रमों को लेकर सौंपी जिम्मेदारी

संवाददाता–गोरखपुर। रानीडीहा स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी की अध्यक्षता में पार्टी की स्थापना दिवस को लेकर तैयारी बैठक आयोजित हुई। जिलाध्यक्ष ने अलग–अलग अभियानों की तैयारी में लगे कार्यक्रम संयोजकों से तैयारियों को लेकर फीडबैक लिया और जिम्मेदारी सौंपी। जिलाध्यक्ष ने आगामी कार्यक्रमों की सफलता के लिए कार्ययोजना के साथ ही सम्पन्न हुए कार्यक्रमों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा भाजपा के कार्यकर्ता 365 दिन समर्पित भाव से पार्टी का काम करते है। जिलाध्यक्ष ने पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को सरल ऐप पर अपलोड करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार शुक्ला, छोटेलाल मौर्य, राजाराम कन्नौजिया, ब्रह्मानन्द शुक्ल, डॉ.सदानंद शर्मा, केएम मझवार, विनय कुमार सिंह, इन्द्र कुमार निगम उपस्थित थे।

पत्नी ने फांसी लगा दे दी जान

संवाददाता–गोरखपुर। थाना क्षेत्र के धुधुरी गांव निवासी विवाहिता ने मुंबई में पति के साथ रहने की दिन घर कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए। गगहा क्षेत्र के सरहआ निवासी रामबली उर्फ अशोक गौड की 23 वर्षीय पुत्री पिंकी की शादी 18 फरवरी 2024 को बड़हलगंज क्षेत्र के धुधुरी के जवाहर गौड़ के पुत्र विशाल के साथ हुई थी। पिंकी के पति विशाल चार माह पूर्व कमाने के लिए मुंबई चले गए। घर पर पिंकी के अलावा उसके ससुर जवाहर व देवर रहते हैं। सास की मौत हो चुकी है। परिजनों के अनुसार, सोमवार सुबह पिंकी ने पति विशाल से बात की और साथ रहने की इच्छा जताई। पति ने वृद्ध पिता व छोटे भाई की देखरेख का हवाला देते हुए अभी घर पर ही रहने की बात कही थी। इसको लेकर दोनों में नोकझोंक भी हुई। दोपहर में पिंकी ने पति को मैसेज भेजकर कमरे में फंदा लगा लिया। इधर, सूचना पर सीओ मनोज कुमार व नायब तहसीलदार जयप्रकाश, कोतवाल चंद्रभान सिंह मौके पर पहुंचे और छानबीन की।

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक–प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय– चतुर्मुखी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय– आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच, कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय– इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406, ई.मेलbhartiyabasti@yahoo.com bhartiyabasti@gmail.com